


तारीख
हुकम

16.8.23


वकील वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 3 के वकील अनुपरिचित) आपहित से दोनो पक्षो के हाजियतता को सुनवाई का हर शक्यता दिला जाकर पत्रावली करते- प्रतिवादी संख्या 1 से 3 अपाव संघ शेष प्रतिवादी संख्या 1 से 3 अपाव संघ शेष प्रतिवादी को संघ हो।


सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

04.10.23

वकील वादी अनुपरिचित। प्रतिवादी संख्या 01 से 3 के वकील अनुपरिचित। पत्रावली का अनुपालन करते कर पाया कि एकल के वकील वादी पत्रावली करते हेतु उपरिचित नही हो रहे हे कोर्ट जा पेशी पर भी अनुपरिचित में कोर्ट आज भी उपरिचित नही हो रहे हे न्यायालय कामकाज की कठोरता तक सुपक्ष 2 कामकाज में लीन कर शक्यता पत्रावली के माध्यम से लीन कर शक्यता 2 कोर्ट कावाले दिमाग में गडे। बावजूद - उपरिचित नही होने के कारण वादी का वाद उम्दा उल्टी व इतक चाली से इवारीक कीजा जाता हे।

पत्रावली केवल सुपक्ष 2 के माध्यम से वादी को दिलाया हो।


सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा